संलग्नक–0.4

कार्यवाही विवरण

M/s National Highways Authority of India द्वारा जिला–बिलासपुर एवं जिला–जांजगीर–चांपा के Development of Bilaspur Urga section of NH-130A (Raipur-Dhanbad Economic Corridor) Start at Junction with NH-130 and NH-130A, near Nehru Chowk, Bilaspur and terminate at junction with NH-149B & SH-4 near Urga in the state of Chhattigarh (approx. 70.2 km) के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् दिनांक 06/03/2019 दिन–बुधवार, समय–11:00 बजे, स्थान– राधा–स्वामी आश्रम के पास खाली मैदान पर, ग्राम–ढेका, तहसील व जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई. आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के अंतर्गत M/s National Highways Authority of India द्वारा जिला–बिलासपुर एवं जिला–जांजगीर–चांपा के Development of Bilaspur Urga section of NH-130A (Raipur-Dhanbad Economic Corridor) Start at Junction with NH-130 and NH-130A, near Nehru Chowk, Bilaspur and terminate at junction with NH-149B & SH-4 near Urga in the state of Chhattigarh (approx. 70.2 km) के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर, बिलासपुर में दिनांक 03.02.2019 के अंक में तथा राष्ट्रीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान टाईम्स, नई दिल्ली में दिनांक 04.02.2019 के अंक में लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तदानुसार लोक सुनवाई दिनांक 06/03/2019 दिन–बुधवार, समय–11:00 बजे, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर की अध्यक्षता में स्थान– राधा–स्वामी आश्रम के पास खाली मैदान पर, ग्राम–ढेका, तहसील व जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु कार्यालय कलेक्टर जिला–बिलासपुर, जिला पंचायत कार्यालय, बिलासपुर, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कार्यालय, जिला–बिलासपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़, पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर, कार्यालय ग्राम पंचायत ढेका, कार्यालय ग्राम पंचायत कर्रा, कार्यालय ग्राम पंचायत निमतरा कार्यालय ग्राम पंचायत गतौरा, कार्यालय ग्राम पंचायत परसदा, कार्यालय ग्राम पंचायत भिलाई, कार्यालय ग्राम पंचायत रलिया, कार्यालय ग्राम पंचायत कछार, कार्यालय ग्राम पंचायत हरदाडीह, कार्यालय ग्राम पंचायत एरमसाई, कार्यालय ग्राम पंचायत नवागांव, कार्यालय ग्राम पंचायत मुड़पार, जिला–बिलासपुर (छ.ग.), डायरेक्टर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली, मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय (डब्लयू.सी.जेड.) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ग्राऊण्ड फ्लोर ईस्ट विन्ग,

न्यू सेक्रेटरियेट बिल्डिंग, सिविल लाईन्स, नागपुर (महाराष्ट्र), मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नया रायपुर (छ.ग.) में रखी गई थी। उक्त परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां एवं आपत्तियां इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, व्यापार विहार, जिला–बिलासपुर में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, व्यापार विहार, जिला–बिलासपुर में मौखिक अथवा लिखित रूप से उक्त परियोजना के संबंध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 06/03/2019 दिन–बुधवार, समय–11:00 बजे, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–बिलासपुर की अध्यक्षता में स्थान– राधा–स्वामी आश्रम के पास खाली मैदान पर, ग्राम–ढेका, तहसील व जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम श्री बी. एस. उइके, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–बिलासपुर द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ करने की अनुमति के साथ क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर द्वारा भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रकिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री भूपेन्द्र मानशेष्टा, परियोजना प्रभारी, एवं श्री अनूप चौधरी, M/s National Highways Authority of India द्वारा जिला–बिलासपुर एवं जिला–जांजगीर–चांपा के Development of Bilaspur Urga section of NH-130A (Raipur-Dhanbad Economic Corridor) Start at Junction with NH-130 and NH-130A, near Nehru Chowk, Bilaspur and terminate at junction with NH-149B & SH-4 near Urga in the state of Chhattigarh (approx. 70.2 km) परियोजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी जनसामान्य को दी गई।

अपर कलेक्टर द्वारा उपस्थित जनसंमुदाय को जनसुनवाई संबंधी विषय पर अपने सुझाव, आपत्ति, विचार, टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात उपस्थित लोगों ने मौखिक रूप से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां दर्ज कराया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री श्यामलाल पटेल, ग्राम–भिलाई** :– दावा आपत्ति कहा पहुचाना था कैसे पहुचाना था हम नहीं जानते । हम किसान आदमी हैं। ग्राम भिलाई रलिया एवं गतौरा के मध्य स्थित है। गतौरा का मुआवजा राशि 12 लाख प्रति एकड़ जबकि भिलाई का 4 लाख है। इन दोनों का मुआवजा राशि समकक्ष किया जाये। कृपया ध्यान में रखते हुए गौर कीजिए। जब तक हमारा मुआवजा राशि तय नहीं हो जाता है तब हम अपनी जमीन नापने नहीं देंगे। पुनः नाप कराई जाये और जो भी राशि में अंतर है उसे समकक्ष कराई जाये।

2. **श्री खेम आनंद सिंह, लिमतरा** :– गतौरा और लिमतरा का मुआवजे में तीन गुना का अंतर है। जबकि दोनों लगे हुए गांव है। हमारे द्वारा तहसील में आवेदन दिया गया है। उसकी पावती हमारे पास है। हम लोग किसान आदमी है।

3. **श्री मनीष कुमार, ढेका** :– रोड में जो पेड़ कट रहे हैं उनका फिर से प्लांटेशन करेंगे। पूर्व में काटे गये पेड़ के बदले छोटे–छोटे फूल लगाये हैं। दस गुना पेड़ लगायेंगे बोले थे किन्तु केवल बड़े पेड़ की जगह छोटे फूल ही लगाये हैं तो, क़ेवल खानापूर्ति के लिए फूल लगायेंगे क्या ?

4. **श्री संतोष कुमार पात्रे, रलिया** :– मैं जानना चाहता हूं कि हमारे जमीन का अधिग्रहण कर रहे हैं, मुआवजा राशि प्रति एकड़ कितना देंगे ?

5. **श्री जितेन्द्र सिंह** :– मेरी यहां जमीन भी जा रही है यहां एक जंक्शन भी बन रहा था उसमें हमारा भी जमीन आ रही थी। मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या वो जंक्शन बन रहा है कि नहीं। मुझे बताया गया कि यह जंक्शन नहीं बनने वाला है। यदि इस परियोजना पर रोक लग रहा है वह ठीक नहीं है। इस संबंध में मुझे वस्तुस्थिति की जानकारी चाहिए। यहां के गांव का लगभग 100 एकड़ का जमीन है यहां उस जमीन को न कोई खरीद नहीं सकता है और न ही बेच सकता है। यहां सड़क परियोजना पर रोक नहीं लगना चाहिए। यहां विकास भी होगा। उसको केंसिल नहीं होना चाहिए। संबंधित मुझे इसका जवाब दीजिए।

6. **श्री लखन टंडन, लिमतरा** :– दर्रीघाट, लिमतरा और गतौरा तीनों का जमीन का रेट अलग अलग क्यों? इसी रोड में किसी को चार गुना और किसी को दो गुना दिया गया है। जनता वही है और रोड भी वही है। सभी का रेट एक होना चाहिए।

7. **श्री परमानंद पटेल, लिमतरा** :– जो फोरलेन सड़क जा रहा है इसमें मेरा दोफसली जमीन जा रही है जिसमें कुआ, ट्यूबवेल जमीन से लगा वृक्ष है उसका क्या प्रावधान है ? बताने का कृपा करें।

8. **मो. इलियास, कर्रा** :– जो जमीन हमारी कर्रा में है सड़क निर्माण में गयी है इसकी मुआवजा राशि का पता नहीं है उसकी जानकारी जल्द से जल्द दी जाये। 18 हेक्टेयर राजस्व भूमि है इसकी मुआवजा कितना मिलेगी। कितनी जमीन बची है हमे बतायें। हमारी जमीन को पूरा प्लेन कर दिया है इसको भी हमें बतायें।

9. **श्री बलराम राठौर, लिमतरा** :– हमारे जमीन को चिन्हांकित तो किया गया है परन्तु अभी तक प्रकाशन में नाम नहीं आया है। खंभा गाड़ दिया गया है ये बतायें कि इसे लिया है या नहीं इस संबंध में जानकारी दी जाये। मुआवजा के संबंध में जानकारी सक्षम अधिकारी द्वारा दी जाये। बिना किसी भी परेशानी के हमको मुआवजा दिया जाये।

10. **श्री मुकेश कुमार पटेल,** :– नेशनल हाईवे में हमारी जमीन भी आ रहा है। पटवारी को बोला गया था कि हमारी निजि जमीन में ट्यूबवेल है। उनके द्वारा बाद में जोड़ेंगे बाला गया था । उसे नहीं जोड़ा गया है। जमीन का मुआवजा दिया जाये। ऐरमसाही और हरदाडीह दोनों का मुआवजा राशि ऐरमसाही के हिसाब से दिया जाये।

11. **श्री भागवत प्रसाद पटेल, परसाही** :– ग्राम मुड़पार में मेरा जमीन है जमीन में ट्यूबवेल लगा है उसका क्या रेट मिलेगा यह जानना चाहता हूं।

12. **श्री योगेन्द्र सिंह ठाकुर, लिमतरा** :– .जमीन का सर्वे का बहुत दिन से हो रहा है इसमे किसान फसे हुए हैं। आवेदन कहीं दे दिया जाता है आज तक पहुचा दिया गया है। किसका जमीन निकला है उसे फिर से पेपर में दिया जाये। आप लोग नहीं कर सकते तो किसान क्या करेगा। वे लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं बेचारे। मौसम भी खराब दिख रहा है बारह महिने पानी गिर रहा है।

13. **श्री भागवत प्रसाद सूर्यवांशी, भिलाई** :– ...मेरे दीदी का जमीन को पटवारी ने नाप जोप किया । जमीन एक एकड़ है। नापने से उस जमीन का रकबा मेरे तरफ ज्यादा छूट गया है उसका सही नाप करके उचित हिसाब से लिया जाये। शासन फिर से नापने के लिए आदेश किया जाये। मेरा जमीन गतौरा एरिया में आता है लगभग वह जमीन 18 डिसमिल है जिसका लगभग दो या तीन डिसमिल छूट रहा है वह जमीन खेती के लायक है और वह जमीन रोड के चपेट में आ जायेगा। मेरा जमीन को पूरा लिया जाये।

14. **श्री नाथूराम कैवर्त, हरदाडीह** :– जो नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट है उसमें मेरा जमीन जा रही है उसका रेट मैं जानना चाहता हूं। रलिया से हरदाडीह से में जो जमीन है उसके मुआवजा में जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए।

15. **श्री चंदन पटेल, भिलाई** :– हमारे गांव का जो जमनी वह बहुत ही उपजाऊ जमीन है। जो नहर खुलेगा खूटाघाट का हमारे जमीन में पानी आयेगा। हमारे जो भिलाई में जमीन है उसमें पशु द्वारा जो नुकसान हो रहा है तो हमे समस्या हो जायेगी। हमारी जमीन का भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है। इसलिए हम लो पूरी तरह से असहमत है। हम किसानों के समक्ष आकर पूरी तरह स्पष्टीकरण किया जाये। फैक्टी रोड बनाना सही है लेकिन कृषि भूमि को नुकसान करते हुए विकास नहीं किया जाता है। हमको जानकारी दे। हम अपनी जान भी दे सकते हैं।

16. **श्री मनीष घोरे, सरपंच ढेका** :– .यहां जो नेशनल हाईवे का जंक्शन बनने वाला है। इस वजह से जमीन की खरीदी नहीं हो रही है। हम जानना चाहते है कि जंक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा। यहां विकास होगा, गावे के लोग आस में है कि उनको मुआवजा मिलेगा तो अपने बच्चों की शादी करेंगे। इसके विषय में हम जानना चाहते हैं बनना है या नहीं बनना है उसकी सच्चाई लोगों के सामने आये।

17. **श्री श्याम लाल मरकाम, नवागांव** :– गतौर और भिलाई को जो रेट वह हमारे गांव के जमीन का उचित रेट दिया जाये। गांव के जमीन को जो जमीन गया है उसको पटवारी के माध्यम से नपवाने की कृपा करें।

18. **श्री चंदराम खाण्डे, गतौरा** :– मेरे भाई का खेत 80 डिसमिल है। दो गुना निकल गया है एक गुना बचना चाहिए। हमारे जमीन को दुबारा नापा जाये। हमारे 4 डिसमिल जमीन में कुछ बच रहा है उसका निराकरण किया जाये।

19. **श्री रतनलाल कुर्रे, गतौरा** :– जो जमीन निकल रहा है फोरलेन के लिए उसके पहले पुनर्वास की व्यवस्था की जाये। इसमें भी पुनर्वास का नियम लागू होना चाहिए। रोजगार की व्यवस्था को भी ध्यान में रखा जाये। हमारी कृषि भूमि चले जाने हमे रोजगार का भी समस्या है।

20. **श्री रामचरण वस्त्रकार, नवागांव** :– हम लोगों को अभी तक कुछ नहीं मालूम है अतः हमें जानकारी देने का कष्ट करें।

21. **श्री कुमान भाई, किसान परसदा** :– गतौरा से लगा हुआ है तो हमारे गावं का रेट गतौरा से कम है। अतः हमारे गांव का रेट भी गतौरा के समान दिया जाये।

22. **श्री सौरभ मौर्य, ढेका** :– हमारे गांव में जो जमीन को पटवारी साहब नापा जा रहा है तो उसमें नापने का पैसा दिया जाता है क्या ? इसके बारे में बताया जाये। पटवारी के तरफ से पैसे का डिमांड किया जाता है।

उपरोक्त वक्तव्यों के बाद अपर कलेक्टर तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया किंतु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब लगभग 01:38 बजे अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–बिलासपुर द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

परियोजना प्रस्तावक के द्वारा उठाये गये मुददों का जवाब देते समय 08–10 लोगों द्वारा एक साथ पेड़ कटाई के विरूद्ध रोपे गये फूल के संबंध में हो–हल्ला होने लगी। पेड़ वाले का जवाब दोगे तब आगे बढ़ोगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पेड़ लगाये जायेंगे। उपस्थित जन समुदाय में 08–10 लोगों द्वारा पुनः सामूहिक रूप से पेड़ लगाये जाने के संबंध में हो–हल्ला किया जाने लगा। एक पेड़ के बदले कम से कम 10 पेड़ लगाईये। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लिया जाये। हम लोग कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। जो पुराने पेड़ कटे हैं उसके विरूद्ध पेड़ लगाना ही होगा। पेड़ के बदले पेड़ ही लगेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहा गया कि – ''सक्षम प्राधिकारी बिलासपुर द्वारा मुआवजे की निर्धारित राशि निर्धारित की गई है उसके अनुसार ही राशि का मुआवजा दिया जायेगा।''

परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री विमल कुमार, सहायक अभियंता, M/s National Highways Authority of India द्वारा जिला–बिलासपुर एवं जिला–जांजगीर–चांपा के Development of Bilaspur Urga section of NH-130A (Raipur-Dhanbad Economic Corridor) Start at Juction with NH-130 and NH-130A, near Nehru Chowk, Bilaspur and terminate at junction with NH-149B & SH-4 near Urga in the state of Chhattigarh (approx. 70.2 km) परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। अपरान्ह लगभग 2:00 बजे अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–बिलासपुर द्वारा लोकसुनवाई सम्पन्न होने की घोषणा की गई।

लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में 57 सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्ति प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 22 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/ टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई, जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 300 व्यक्ति उपस्थितं थे। उपस्थिति पत्रक पर कुल 94 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। आयोजित लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई गई।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
बिलासपुर

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला–बिलासपुर